



IIM

विद्या परं दैवतम्

भारतीय प्रबंध संस्थान विशाखपट्टणम
Indian Institute of Management Visakhapatnam

संदर्भ सं. निदेशक/60/2025

13-12-2025

कार्यालय जापन

आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन

दिनांक 14-10-2025 के कार्यालय जापन (OM) के संदर्भ में, "कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013" तथा "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षण संस्थानों में महिला कर्मचारियों एवं छात्राओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) विनियम, 2015" के प्रावधानों के अंतर्गत संस्थान की आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का पुनर्गठन निम्नलिखितानुसार किया जाता है:

नाम / पदनाम / संगठन	आ.शि.स(ICC) में भूमिका
1. प्राध्यापिका बिशाखा मजूमदार, सहायक प्राध्यापिका, भा.प्र.सं विशाखापत्तणम	पीठासीन अधिकारी
2. लेफ्टिनेंट कमांडर कुसुम यादव, (सेवानिवृत्त) उप महाप्रबंधक, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। (एचएसएल)	सदस्य
3. सुश्री के बी एन मणिमाला मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सिमद्री सूर्या आई अस्पताल, नबरंगपुर [अधिनियम की धारा 4(2)(सी) के अनुसार]	सदस्य
4. प्राध्यापक प्रिंस डोलिया, सहायक प्राध्यापक, भा.प्र.सं विशाखापत्तणम	सदस्य
5. प्राध्यापिका ज्योत्सना जेएच, सहायक प्राध्यापिका, भा.प्र.सं विशाखापत्तणम	सदस्य
6. प्राध्यापक रोहित तिटियाल, सहायक प्राध्यापक, भा.प्र.सं विशाखापत्तणम	सदस्य
7. वरिष्ठ पुस्तकालय सूचना अधिकारी, भा.प्र.सं विशाखापत्तणम	सदस्य
8. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (मानव संसाधन), भा.प्र.सं विशाखापत्तणम	सदस्य-संयोजक
9. छात्र प्रतिनिधि i. पीजीपी 1 के 2 छात्र (एक पुरुष और एक महिला) ii. पीजीपी 2 के 2 छात्र (एक पुरुष और एक महिला)	

1. पीठासीन अधिकारी या समिति के किसी सदस्य की अनुपस्थिति में, निदेशक एक विकल्प नामित करेंगे।
2. छात्र प्रतिनिधियों का नामांकन छात्र कार्य परिषद द्वारा किया जाएगा तथा उनका चयन एक पारदर्शी एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। जब किसी प्रकरण में छात्र/छात्राओं से संबंधित विषय सम्मिलित हो, तब आवश्यकता अनुसार इन छात्र प्रतिनिधियों को आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की कार्यवाही में सहयोग हेतु आमंत्रित किया जाएगा।
3. पीठासीन अधिकारी आवश्यकता अनुसार परामर्श हेतु किसी भी बैठक में छात्र परामर्शदाता अथवा किसी अन्य संकाय अथवा कर्मचारी सदस्य को भी आमंत्रित कर सकते हैं।
4. उपर्युक्त उल्लिखित अधिनियम, विनियमों तथा भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी पुस्तिका (हैंडबुक) की एक-एक प्रति संलग्न है।
5. समिति समय-समय पर प्रवृत्त अधिनियम, विनियमों, पुस्तिका (हैंडबुक) में निहित दिशा-निर्देशों तथा उनमें किए गए संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी।
6. बाह्य सदस्यों एवं आमंत्रित सदस्यों को संस्थान के प्रचलित मानदंडों के अनुसार बैठक शुल्क (सिटिंग फीस) का भुगतान किया जा सकता है।
7. यह समिति तत्काल प्रभाव से लागू होगी तथा आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेगी।

14. दिसंबर 2025

प्राध्यापक एम चंद्रशेखर
निदेशक

पीठासीन अधिकारी और आंतरिक शिकायत समिति के सदस्य

संदर्भार्थ प्रेषित:

1. अधिष्ठाता (प्रशासन)
2. अध्यक्ष (छात्र कार्य परिषद – SAC)
3. समस्त शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारी

भारतीय प्रबंध संस्थान विशाखपट्टणम

गम्भीराम गांव, आनंदपुरम मंडल, विशाखपट्टणम-531 163, आन्ध्र प्रदेश, भारत

Indian Institute of Management Visakhapatnam

Gambhiram Village, Anandapuram Mandal, Visakhapatnam - 531 163, Andhra Pradesh, India

Tel : + 91 891 - 282 4444, 2824400 | info@iimv.ac.in | www.iimv.ac.in